न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पीठासीन अधिकारी–नरेश कुमार शर्मा
आई0ए0एस0
ना0 अपील सं0 11/2016

1. लक्षमा बेवा मंगल्या
2. कन्हैया
3. बुद्धा
4. कैलाश पिसरान मंगल्या जाति माली निवासी जीरोता खुर्द जिला दौसा

..अपी0

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र बद्रीनारायण जाति कोली निवासी भण्डाना तहसील व जिला दौसा
2. राज0 सरकार जरिए तहसीलदार दौसा
3. कजोड पुत्र रामधन
4. रेवड पुत्र नानगा
5. गुल्लाराम
6. लल्लूराम
7. छोटूराम
8. जगदीश पिसरान नानगा जति माली निवासी जीरोता तहसील व जिला दौसा ..रेस्पो0

अपील विरुद्ध नामान्तरकरण सं0 235 दिनांक 12.10.2001
व न्यायालय तहसीलदार, दौसा

उपस्थिति–1. श्री जगजीवनराम, अधिवक्ता अपीलांट पक्ष

निर्णय दिनांकः 20.12.17

संक्षिप्त वृतांत अपील इस प्रकार है कि तहसीलदार, दौसा द्वारा दिनांक 12.10.2001 को नामान्तरकरण सं0 235 तस्दीक कर दिया गया। इसी आदेश से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को तलब किया गया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवायी गयी । बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट पक्ष की बहस में दलील है कि वाके ग्राम जीरोता खुर्द में चाह नं0 82 रकबा 0.04 है स्थित है जिसकी खातेदारी कजोड पुत्र रामधन हिस्सा 1/4 व रेवड, गुल्लाराम, लल्लूराम, छोटूराम, जगदीश, पि0 नानगा हिस्सा 1/4 तथा अपीलांट का हिस्सा उक्त चाह में 1/2 मे से 1/3 हिस्से का बेचान जरिए रजि0 विक्रय पत्र रेस्पोडेन्ट नं0 1 को दिनांक 18.05.01 को कर दिया। अपीलांट ने उक्त चाह मे से अपना हिस्सा 1/2 मे से 1/3 हिस्सा का ही बेचान किया था

परन्तु तहसीलदार व पटवारी हल्का द्वारा बिना विक्रय पत्र के अवलोकन किये ही चाह खसरा नं0 82 का हिस्सा 1/2 का सम्पूर्ण का नामान्तरकरण तस्दीक कर दिया। जबकि तहसीलदार को विक्रय पत्र का अवकोलकन करने के पश्चात विक्रय पत्र के अनुसार ही नामान्तरकरण तस्दीक करना चाहिए था उक्त अवैध नामान्तरकरण की अपीलांट को कोइ जानकारी नही थी अब ता0 2.5.16 को पटवारी हलका ने बताया कि चाह खसरा नं0 82 में तुम्हारा कोई लेना देना शेष नही रहा है क्योकि सम्पूर्ण हिस्से का नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट नं0 01 के नाम होकर खातेदारी हो चुकी है। इस जानकारी पर अपीलांट ने उक्त अवैध नामान्तरकरण की जानकारी होने पर ता 5.5.16 को नकल का प्रार्थना पत्र पेश किया जिसकी नकल ता0 5.5.16 को प्राप्त हुई इसलिए उक्त अवैध नामान्तरकरण जानकारी से अपील अन्दर मियाद पेश है। नामान्तरकरण खिलाफ कानून नियम उपनियम व पत्रावली तथ्यों के प्रतिकूल होने के कारण निरस्तनीय है । अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमाकर अधिनस्थ तहसीलदार दौसा का नामान्तरकरा सं0 235 का आदेश ता0 12.10.2001 खारिज करने की कृपा करें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 उपस्थित नहीं होने से अपीलांट की इकतरफा बहस सुनी गई एवं प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर निर्णय किया जाना उचित समते हुए बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। नामान्तरकरण संख्या 235 दिनांक 12.10.2001 प्रशासन गॉव के संग अभियान–2001 के अंतर्गत खोला गया है। जिसमें बाबूलाल पुत्र बद्री नारायण जाति कोली हि0 1/2 सा0 भण्डाना खसरा नंबर 82 रकबा 0.04 गै0मु0 चाह दर्ज किया गया है। जो मुताबिक रजिस्ट्री अंकित कर खोला गया है। अपीलांट ने उक्त चाह मे से अपना हिस्सा 1/2 मे से 1/3 हिस्सा का ही बेचान किया जाना वरवक्त बहस व अपील मीमों में बताया गया तथा यह भी बताया है कि तहसीलदार व पटवारी हल्का द्वारा बिना विक्रय पत्र के अवलोकन किये ही चाह खसरा नं0 82 का हिस्सा 1/2 का सम्पूर्ण का नामान्तरकरण तस्दीक कर दिया। विकय पत्र की प्रति भी संलग्न पत्रावली है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में सीधा ही कोई कार्यवाही करना उचित नहीं समझते हुए प्रकरण को तहसीलदार दौसा द्वारा समझकर निर्णय करने हेतु रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रुप से स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन नामान्तरकरण सं0 235 दिनांक 12.10.2001 पर पारित आदेश निरस्त किया जाता है । तहसीलदार दौसा को प्रकरण प्रति प्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि प्रकरण से संबंधित दस्तावेजों की जॉच करते हुए पक्षकारान को साक्ष्य/सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर इस न्यायालय के निर्णय के प्रकाश में विधि सम्मत निर्णय पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति सहित प्रेषित की जावें। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो ।

(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांकः 20 दिसम्बर, 2017 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर, दौसा